>

Title: The Minister of Rural Development laid a statement regarding expansion of National Social Assistance Programme (NSAP) to include pension scheme for widows and persons with disabilities.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

मैं समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों को शामिल करने की दृष्टि से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का विस्तार करने के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूँ । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की प्रतिबद्धताओं को जारी रखते हुए भारत सरकार ने 5 फरवरी, 2009 को " इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) " तथा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)" नामक दो नई पेंशन योजनाओं को शामिल करने के लिए एनएसएपी के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया, जो मौजूदा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)" के अतिरिक्त हैं ।

इन नई पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं-

(।) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की विधवाएं, जो 40-64 वर्ष की आयु समूह की हैं ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT-10637/09.

(।।) गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार के 18-64 वर्ष के आयु समूह के गंभीर अथवा विविध किस्म की अपंगताओं से ग्रसित व्यक्ति ।

नई योजनाओं के अंतर्गत पेंशन के लिए केंद्रीय सहायता प्रति लाभार्थी प्रति माह 200 रू. होगी । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कम से कम समान राशि अंशदान करें ताकि लाभार्थियों को प्रति माह 400 रू. अथवा इससे अधिक जैसा कि आईजीएनओएपीएस के मामले में होता है, की दर से पेंशन मिल सके । साथ ही पेंशन की राशि लाभार्थी के बैंक अथवा डाकघर खाते में जमा की जाएगी ।

नई योजनाओं से 4404289 विधवाओं और गंभीर अथवा विविध रूप से अपंग 1556004 व्यक्तियों को लाभ पहुँचने का अनुमान है । प्रति वर्ष अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता आईजीएनडब्ल्यूपीएस के लिए 1057.03 करोड़ रू. और आईजीएनडीपीएस के लिए 373.44 करोड़ रू. होगी ।

ये दो नई योजनाएं 05 फरवरी, 2009 से लागू की गई हैं । राज्यों से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ः

(।) पात्रता मानदंड के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों का निर्धारण करना

(।।) पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस को सार्वजनिक करना/वेबसाइट में डालना

(।।।) लाभार्थियों द्वारा बैंकों या डाकघरों में खाता खोला जाना सुनिश्चित करना ।

राज्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता आधार पर नई योजनाओं को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है ताकि यथाशीघ्र सभी पात्र बसावटों की कवरेज सुनिश्चित की जा सके ।

यह भी बताया जाता है कि आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत, अब तक 1.47 करोड़ लाभार्थी कवर किए गए हैं ।

मैं माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव दिया ।

-

-